

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: ४४ /सो.आ.नि.-386/2015
दिनांक: ०४ मई, 2015

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली को छोड़कर)

विषय: प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 में सम्पन्न सोशल आडिट की रिपोर्ट के निष्कर्षों का सार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2013-14 में सम्पन्न सोशल आडिट की रिपोर्ट के निष्कर्षों का सार उपलब्ध कराने विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या 693/सो.आ.नि.-386/2015 दिनांक 16-3-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। वित्तीय वर्ष 2013-14 की भौति वित्तीय वर्ष 2014-15 के सोशल आडिट प्रतिवेदनों के सारांश को भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा शासन तथा महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिनांक 25-05-2015 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। सूचना की साफ्ट कापी (excel/doc) की फाइल भी अवश्य उपलब्ध कराएं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- उपरोक्त जनपदों के जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजवर्धन)
निदेशक

महात्मा गांधी नरेगा योजना

| सोशल आडिट प्रतिवेदन का सारांश (वित्तीय वर्ष 2014-15) | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|
| जनपद का नाम | | | |
| विकासखण्ड का नाम | ग्रामपंचायत का नाम | सोशल आडिट की तिथि | वित्तीय वर्ष जिसके लेखों/कार्यों का सोशल आडिट किया गया |
| | | | |
| सोशल आडिट के निष्कर्षों का शीर्षकवार सारांश एवं प्रकाश में आई कमियों का विवरण | | | |
| 1. परिवारों का पंजीकरण से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 2. जॉब कार्ड से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 3. काम के लिए आवेदन पत्र से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 4. काम का आवंटन से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 5. मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 6(क). कराए गए कार्य अनुमोदित कार्यों की श्रेणी में न होने से सम्बन्धित (कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 6(ख). कार्यों का चयन एवं कार्य-आदेश से सम्बन्धित (कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 7(क). सामग्री की दरें एवं मात्रा से सम्बन्धित (कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 7(ख). कार्य का क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण से सम्बन्धित (कार्यों के नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 8. सोशल आडिट के दौरान दृष्टिगोचर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं/ कमियों से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 9. अन्य बिन्दु/अभ्युक्ति (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |

(यदि आवश्यक हो, कृपया अतिरिक्त पन्ने जोड़ें।)

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

जिला विकास अधिकारी

इन्दिरा आवास योजना

| सोशल आडिट प्रतिवेदन का सारांश (वित्तीय वर्ष 2014-15) | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|
| जनपद का नाम | | | |
| विकासखण्ड का नाम | ग्रामपंचायत का नाम | सोशल आडिट की तिथि | वित्तीय वर्ष जिसके लेखों/कार्यों का सोशल आडिट किया गया |
| | | | |
| सोशल आडिट के निष्कर्षों का शीर्षकवार सारांश एवं प्रकाश में आई कमियों का विवरण | | | |
| 1. वरीयता क्रम का उल्लंघन होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 2. इन्दिरा आवास आवंटित परिवार का अनर्ह होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 3. आवास का निर्माण पूर्ण न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 4. आवास की गुणवत्ता असंतोषजनक होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 5. आवास हेतु पट्टे की भूमि का उपयुक्त न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 6. आवास आवंटन में अनियमित रूप से धनराशि की मांग से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 7. शौचालय निर्माण में धनराशि के स्थान पर सामग्री प्राप्त कराने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 8. आवास में शौचालय का निर्मित न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 9. आवास के लाभार्थी को राजीव गांधी-विद्युत योजना/किसी अन्य योजना से विद्युतीकरण का लाभ न मिलने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 10. आवास के आस-पास मानकों के अनुसार पेयजल सुविधा उपलब्ध न होने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 11. अर्ह लाभार्थी को मनरेगा से अनुमन्य व्यक्तिगत लाभार्थ परियोजनाओं का लाभ न मिलने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |
| 12. आवास पूर्ण होने पर कार्यपूति प्रमाण पत्र जारी न करने से सम्बन्धित (नाम सहित पूर्ण विवरण) | | | |

(यदि आवश्यक हो, कृपया अतिरिक्त पन्ने जोड़ें।)

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

जिला विकास अधिकारी